



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-11/2022-23

अवध बिहारी

बनाम्

बंशीधर राय एवं अन्य

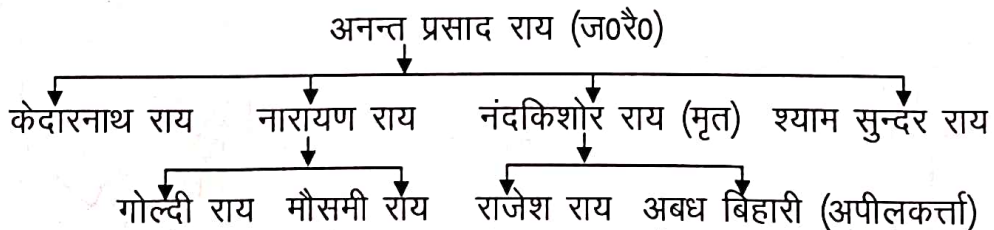
—: आदेश :—

दिनांक 7/10/22

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता अवध बिहारी, पे0-स्व0 नंद किशोर राय, सा0-आषाढ़ी माधुरी, थाना-पोड़ैयाहाट, जिला-गोड्डा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0-4/2022-23 के आदेश दिनांक-26.07.2022 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है एवं अपील आवेदन अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-आषाढ़ी माधुरी नं0-19 के जमाबंदी सं0-175 एवं मौजा-लीलादह नं0-36 के जमाबंदी सं0-146 के गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के चार जमाबंदी रैयतों में एक अनन्त प्रसाद राय का भी नाम दर्ज है। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी दोनों जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय के वंशज है और दोनों पक्ष को संयुक्त रूप से जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय की जमीन उत्तराधिकारी से प्राप्त हुआ है एवं उस पर दखलकार हैं। जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय की जमीन पर उक्त जमाबंदी के अन्य रैयतों के वंशजों को कोई आपत्ति और दावा नहीं है। गत जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :-



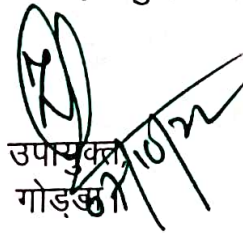
उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत अनन्त राय की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्र संयुक्त रूप से अपने पिता की सम्पत्ति पर दखलकार हुए एवं अपने बटाईदार को मदद से खेती करते आ रहे हैं। नारायण राय की मृत्यु वर्ष 2010 में हो गयी। उनको एक पुत्र गोल्डी राय एवं एक पुत्री मौसमी राय है तथा नंद किशोर राय की भी मृत्यु वर्ष 2019

ई0 में हो गयी। उनको दो पुत्र राजेश राय एवं अबध बिहारी (अपीलकर्ता) हुए। इस प्रकार जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय के पुत्रों के वंशज में बराबर 1/4 हिस्सा में दखलकार है। लेकिन उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में जाली बँटवारानामा प्रस्तुत कर किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बँटवारानामा को सही मानते हुए अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया है। इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बँटवारानामा से संबंधित तथ्य सामने लाने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अपीलकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-आशाड़ी माधुरी नं0-19 जमाबंदी सं0-175 हरीहर प्रसाद राय वो अनंत प्रसाद राय वो शंत प्रसाद राय वो भागवत प्रसाद राय के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्ता के द्वारा अपने अपील आवेदन में स्वीकार किया गया है कि उत्तरवादी भी उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत अनन्त प्रसाद राय के वंशज है। चूँकि अपीलकर्ता का विवाद बँटवारानामा से संबंधित है, जिस पर इस स्तर से निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलकर्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

Seen today on 21/11/2022
Sd/-
Asst. Commr. Godda